रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28082024-256685
CG-DL-W-28082024-256685

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, अगस्त 11,— अगस्त 17, 2024, शनिवार/श्रावण 20—श्रावण 26, 1946
No. 29] NEW DELHI, AUGUST 11,— AUGUST 17, 2024, SATURDAY/SHRAVANA 20—SHRAVANA 26, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जून, 2024

सा.का.नि. 110.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स (समूह 'ग' के योधक पद) भर्ती संशोधन नियम, 2000 को जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार (भंडारी तकनीकी इंजीनियर) के पद से है, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन असम राइफल्स में नायब सूबेदार (भंडारी तकनीकी इंजीनियर) समूह 'ख' योद्धक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, असम राइफल्स नायब सूबेदार (भंडारी तकनीकी इंजीनियर) समूह 'ख' योद्धक पद भर्ती नियम 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि. –उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. –वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सा दृष्टया योग्यता.–चिकित्सा दृष्टया योग्यता स्वस्थता केन्द्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए चिकित्सा दृष्टया योग्यता गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक समान दिशा–निर्देशों या तत्पश्चात किए गये संशोधन के अनुसार होगी।

6. अधिवर्षिता.–इन नियमो के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस माह के अंतिम तारीख को जिसमे वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है या करती है केंन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर विहित अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु एक व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख मास के पहले दिन को है, वह उस मास से पूर्वमास के अंतिम दिन को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपराहान् में सेवानिवृत्त होगाः

परन्तु यह और कि किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की विहित आयु से अधिक सेवा में विस्तार की अवधि अनुदत्त नही की जाएगी।

7. निर्वचन.–यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।

8. शिथिल करने की शक्ति.–जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृति.–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद के नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे वेतन	चयन या अचयनत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नायब सूबेदार (भंडारी तकनीकी इंजीनियर)	17*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसचिवीय (योद्धक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6, (रू0 35,400–1,12,400/–)	चयन

सीधे भर्ती के लिए आयु–सीमा।	सीधे भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष

भर्ती की प्रणाली– भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की गई भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
पदोन्नति द्वारा	प्रोन्नतिः असम राइफल्स के सदस्यो मे से प्रोन्नति, जिन्होंने हवलदार (भंडारी तकनीकी इंजीनियर) के पद पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (रू0 25,500–81,100/–) मे श्रेणी मे चिकित्सा श्रेणी

	शेप–1 सहित, दस वर्ष नियमित सेवा की हों और निम्नलिखित अर्हताऐं रखते हो:– क. मानचित्र बोध मानक – दो ख. तकनीकी व्यवसायिक परीक्षण – एक ग. बल द्वारा समय–समय पर विहित या प्रन्नति पूर्व न्यूनतम दो से चार सप्ताह का अनिवार्य श्रेणी प्रशिक्षण अर्हित हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	
(12)	
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें:– 1. महानिरीक्षक असम राइफल्स –अध्यक्ष 2. कर्नल (रिकार्ड), असम राइफल्स –सदस्य 3. एक तकनीकी अर्हित इंजीनियर के अधिकारी जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो –सदस्य 4. मेजर/डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी –सदस्य 5. असम राइफल्स के दो कमीशन अधिकारी जो सूबेदार से कम रैंक के न हो, –सदस्य	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें:– 1. बिग्रेडियर (कार्मिक) असम राइफल्स – अध्यक्ष 2. कर्नल (रिकार्ड), असम राइफल्स –सदस्य 3. एक तकनीकी अर्हित इंजीनियर के अधिकारी जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का हो –सदस्य 4. मेजर/डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी –सदस्य 5. असम राइफल्स के दो कमीशन अधिकारी जो सूबेदार से कम रैंक के न हो, –सदस्य

भर्ती करने मे किन परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
लागू नही होता।

[फा. सं. ए/पर्स/अमेंड/आरआरएस/जी पी बी/कोम्ब/एसकेटी(इंजीनियम)/2018]

आर जोसेस वशुम, उप सचिव, (कार्मिक–II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th June, 2024

G.S.R 110.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006) and in supersession of the Assam Rifles (Group 'C' Combatised Posts) Recruitment Amendment Rules, 2000, in so far as it relates to the post of Naib Subedar (Store Keeper Technical Engineer), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Naib Subedar (Store Keeper Technical Engineer) Group 'B' Combatised in the Assam Rifles under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs Assam Rifles Naib Subedar (Store Keeper Technical Engineer), Group 'B' Combatised Post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**.–The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore said Schedule.

4. **Disqualification**.–No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical fitness**.–Medical fitness shall be as per uniform guidelines for recruitment in the Central Armed Police Forces and Assam Rifles issued by the Ministry of Home Affairs and subsequent amendment thereof.

6. **Superannuation.-**Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of the month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years:

Provided further that no person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

7. **Interpretation.-**If any question relating to the interpretation of these rules arises it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

8. **Power to relax**.–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving**.–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualify-cations required for direct recruit-ts.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Naib Subedar (Store Keeper Technical Engineer).	17* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non Ministerial (Combatised).	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Two years.	By promotion.	Promotion: From amongst members of Assam Rifles holding the rank of Havildar (Store Keeper Technical Engineer) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) having ten years

			regular service in the grade with Medical category SHAPE -1, and possessing the following qualifications,- (i) Map Reading Standard – Two; (ii) Technical Trade Test – One; (iii) Qualified in mandatory pre-promotion cadre training of minimum two to four weeks or as prescribed by the Force from time to time. **Note.-** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	
(12)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Inspector General, Assam Rifles –Chairperson; 2. Colonel (Records), Assam Rifles –Member; 3. One Technically Qualified Officer from Engineers of the rank of Lieutenant Colonel -Member; 4. One Officer of the rank of Major or Deputy Commandant -Member; 5. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the rank of Subedar –Member.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Brigadier Personnel, Assam Rifles- Chairperson; 2. Colonel (Records), Assam Rifles – Member; 3. One Technically Qualified Officer from Engineers of the rank of Lieutenant Colonel - Member; 4. One Officer of the rank of Major or Deputy Commandant – Member; 5. Two Junior Commissioned Officer of Assam Rifles not below the rank of Subedar – Member.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Not applicable.

[F. No. A/Pers/Amdt RRs/Gp B Comb/SKT (Engr)/2018/]

R JOSES VASHUM, Under Secy. (Pers-II)

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार (अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक), भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उनका संबंध अपर निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है

या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार में अपर निदेशक के पद में भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार, अपर निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
अपर निदेशक ।	2* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रू०) ।

चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)		(7)
चयन ।	लागू नहीं होता ।		लागू नहीं होता ।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति :-** संयुक्त निदेशक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रू० 78800-209200) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित पुलिस संचार परख एवं प्रबंधन में दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रू० 78800-209200) में या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो,- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या संचार या कम्प्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी में स्नातक या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री के साथ रेडियो संचार, कंप्यूटर संचार या उपग्रह संचार में दस

			वर्ष का अनुभव; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या संचार या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री के साथ रेडियो संचार, कंप्यूटर संचार या उपग्रह संचार में आठ वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य ; 3. निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 11016/1/आर. आर (अप.नि.)/2020-प्र.II]

चन्दन कुमार, अवर सचिव

DIRECTORATE OF COORDINATION

(Police Wireless)

New Delhi, the 7th August, 2024.

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Co-ordination Police Wireless (Additional Director, Joint Director and Deputy Director) Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to the post of Additional Director except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the

method of recruitment to the post of Additional Director in the Directorate of Co-ordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Co-ordination, Police Wireless, Additional Director, (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications, and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.–**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.–**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Additional Director.	2 * (2024) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation.	Promotion: Joint Director in level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix with five

			years' of regular service in the grade and have successfully completed two weeks training programme in Police Communication appreciation and management conducted by Directorate of Coordination Police Wireless. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis post in level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electronics or Telecommunications or Communica-tions or Computer Science or Information Technology or Master degree in Physics or Computer Applications from a recognised University or institute with ten years experience in Radio Communication, Computer Communication or Satellite Communication; or (ii) Master of Engineering or Master of Technology in Electronics or Teleco-mmunications or Communications or Computer Science or Information Technology from a recognised University or institute with eight years' experience in Radio Communication, Computer Communication or Satellite Communication. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

			Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission –Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs –Member; 3. Director, Directorate of Coordination Police Wireless –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-11016/1/RR(Addl.Dir)/2020-AD.II]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 2024

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, भेषजाज (ऐलोपैथिक) भर्ती नियम, 2015 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें इस तरह के अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में भेषजाज (ऐलोपैथिक) के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम संगठन, भेषजाज (ऐलोपैथिक) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उक्त पद से संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हता आदि- उक्त पद से संबंधित भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता- कोई व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है जिसके पति या पत्नी जीवित हैं; या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या अनुबंध किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति-जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह आदेश द्वारा, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकती है।

6. व्यावृति -इन नियमों की कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाने वाली आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य विशेष रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**क्या चयन पद या गैर-चयन पद है**	**सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भेषजाज (ऐलोपैथिक)	722* (2024) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, अहमदाबाद- 22; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, बेगलुरु - 24; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, भोपाल - 06; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, भुवनेश्वर-10; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, चंडीगढ़ -14; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, चेन्नई-36; केंद्रीयसरकार स्वास्थ्य स्कीम, देहरादून -06; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, दिल्ली -232; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 29200-92300) में स्तर-5	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस वर्ष की आयु तक छूट)। **टिप्पण1.-**आयु-सीमा अवधा-रित करने की निर्णायक तारीख असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग और लद्दाख,अंडमान

	स्कीम, गुवाहाटी-10; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, हैदराबाद-40; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, जबलपुर-12; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, जयपुर-22; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, कानपुर -18; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, कोलकाता -44; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, लखनऊ-26; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, मेरठ-20; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, मुंबई -62; केंद्रीयसरकार स्वास्थ्य स्कीम, नागपुर -32; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, पटना -18; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, पुणे-20; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, प्रयागराज-20; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, रांची - 08; केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, शिलांग -08; और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम, त्रिवेंद्रम-12 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				और निकोबार और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। **टिप्पणी 2-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जब तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न रीति से भरी जानी रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी (एलोपैथिक) में स्नातक की डिग्री; और (ii) भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन भेषजज के रूप में रजिस्ट्री; अथवा (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टर ऑफ भेषजी; और (iv) भेषजी अधिनियम, 1948 के अधीन भेषजज के रूप में रजिस्ट्रीकृत।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष **टिप्पण-** केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा के सफल समापन के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आरंभिक प्रशिक्षण होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर होने के कारण होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है, - (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हों; और (ख) उनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसका संघटन क्या है।	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: - 1. अपर निदेशक, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम शहर - अध्यक्ष; या अपर निदेशक केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (मुख्यालय) 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम शहर -सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम शहर या संबंधित	लागू नहीं होता।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम शहर के अपर निदेशक द्वारा नामित संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम शहर का कोई समूह 'क' अधिकारी - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/01/2015-सीजीएचएस-I]

राजेंद्र सिंह सिद्धू, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Central Government Health Scheme Division)

New Delhi, the 24th June, 2024

G.S.R. 112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Pharmacist (Allopathic) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist (Allopathic), in the Central Government Health Scheme Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Pharmacist (Allopathic), Group ‘C’ Post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Pharmacist (Allopathic).	722* (2024) Central Government Health Scheme, Ahmedabad- 22; Central Government Health Scheme, Bengaluru - 24; Central Government Health Scheme,	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of

	Bhopal - 06 ; Central Government Health Scheme, Bhubaneswar-10; Central Government Health Scheme, Chandigarh –14; Central Government Health Scheme, Chennai–36; Central Government Health Scheme, Dehradun –06; Central Government Health Scheme, Delhi –232; Central Government Health Scheme, Guwahati–10; Central Government Health Scheme, Hyderabad–40; Central Government Health Scheme, Jabalpur –12; Central Government Health Scheme, Jaipur–22; Central Government Health Scheme, Kanpur –18; Central Government Health Scheme, Kolkata –44; Central Government Health Scheme, Lucknow–26; Central Government Health Scheme, Meerut–20; Central Government Health Scheme, Mumbai –62; Central Government Health Scheme, Nagpur –32; Central Government Health Scheme, Patna –18; Central Government Health Scheme, Pune–20; Central Government Health Scheme, Prayagraj –20; Central Government Health Scheme, Ranchi - 08; Central Government Health Scheme, Shillong –08; and Central Government Health Scheme, Trivendrum - 12. * Subject to variation dependent on workload.				forty years in the case of general candidates and up to the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1**.- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing dates for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

					Note 2.- In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputa-tion/absorption to be made.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
(i) Bachelor Degree in Pharmacy (Allopathic) from a Central Governments or State Governments recognised University or institute ; and (ii) Registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948; or (iii) Doctor of Pharmacy from a Central Government or State Government recognised	Not applicable.	Two years. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note.-**Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circum-stances for a dura-tion of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Govern-ment,- (a) holding analogous posts on	Not applicable.

University or institute ; and (iv) Registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948.			regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience for direct recruits under column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director, concerned Central Government Health Scheme city - Chairman ; or Additional Director Central Government Health Scheme (Headquarter) 2. Chief Medical Officer, concerned Central Government Health Scheme city -Member ; 3. Administrative Officer, Establishment concerned Central Government Health Scheme city or a Group 'A' officer of concerned Central Government Health Scheme city as nominated by Additional Director of concerned Central Government Health Scheme city - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/01/2015-CGHS-I]

RAJENDER SINGH SIDHU, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जून, 2024

सा.का.नि. 113.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, परा-चिकित्सा एवं साधारण श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, परा-चिकित्सा एवं साधारण श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती(संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, परा-चिकित्सा एवं साधारण श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 (इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में अनुसूचित हैं ।

(i) क्रम सं. 1 पर, फार्मासिस्ट-सह-लिपिक (यूनानी) के पद के संबंध में स्तंभ (7) के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनिवार्य :

I. (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान) सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उर्दू या अरबी या फारसी में कोई समतुल्य प्राच्य अर्हता;

(ii) केंद्र या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यूनानी फार्मेसी में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा; और

(iii) केंद्र या राज्य सरकार के यूनानी अस्पताल या फार्मेसी से या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अथवा पैनलबद्ध यूनानी अस्पताल या फार्मेसी में यूनानी फार्मासिस्ट के रूप में दो वर्ष का अनुभव;

अथवा

II. केंद्र या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से यूनानी फार्मेसी में डिग्री।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती (है) हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।"

(ii) क्रम सं. 2 पर, भंडारी (यूनानी) के पद के संबंध में स्तंभ (7) के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनिवार्य :

I. (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान) सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उर्दू या अरबी अथवा फारसी में कोई समतुल्य प्राच्य अर्हता;

(ii) केंद्र या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से यूनानी फार्मेसी में कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा; और

(iii) केंद्र या राज्य सरकार के यूनानी अस्पताल या फार्मेसी से अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त या पैनलबद्ध यूनानी अस्पताल या फार्मेसी से यूनानी फार्मासिस्ट के रूप में दो वर्ष का अनुभव;

अथवा

II. केंद्र या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से यूनानी फार्मेसी में डिग्री।

टिप्पण 1 :अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 :अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती (है) हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।"

(iii) क्रम सं. 3 पर, ई.सी.जी तकनीशियन (कनिष्ठ) के पद के संबंध में स्तंभ (7) के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान) सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य;

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त संसथान से ई.सी.जी. तकनीशियन पाठ्यक्रम मे डिप्लोमा: और

(iii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अस्पताल से या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अथबा पैनलबद्ध अस्पताल में ई.सी.जी मशीन पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 :अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती (है) हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।"

(iv) क्रम सं. 6 पर, दंत तकनीशियन के पद के संबंध में स्तंभ (7) के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान) सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य;

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त संस्थान से डेंटल हाइजीन या डेंटल तकनीशियन मे डिप्लोमा और;

(iii). केंद्र सरकार या राज्य सरकार अस्पताल से या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त या पैनलबद्ध अस्पताल में डेंटल तकनीशियन के रूप मे दो वर्ष का अनुभव:

टिप्पण 1 :अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती (है) हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।"

(v) क्रम सं. 7 पर, महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका के पद के संबंध में स्तंभ (7) के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनिवार्य :

(i)किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य

(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संस्था या अस्पताल से या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त या पैनलबद्ध संस्था या अस्पताल से महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका पाठ्यक्रम मे डिप्लोमा और प्रसूति-विद्या में 1 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 :अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनूसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती (है) हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।"

[फा. सं. ए-12018/01/2014-सीजीएचएस-I(पार्ट)]

राजेंद्र सिंह सिद्धू, अवर सचिव

टिप्पण :-1. मूल नियम तारीख 19 नवम्बर, 2015 को सा.का.नि. 221 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II,खण्ड-3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित हुए थे।

2. संशोधित नियम तारीख19 दिसम्बर, 2017 को सा.का.नि. 446 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II,खण्ड-3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित हुए थे।

New Delhi, the 24th June, , 2024

G.S.R. 113.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Paramedical and general categories (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015 namely:-

1. **Short title and commencement. -**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Paramedical and general categories (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Paramedical and general categories (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules)-

(i) Against the post of Pharmacist-cum-clerk (Unani) at serial number 1 for the entries under column (7), the following shall be substituted, namely:-

" Essential : I. (i) 12th class pass with Science Subjects [Physics, Chemistry, Mathematics or Biology] or equivalent from a recognised Board or University or an equivalent oriental qualification in Urdu or Arbic or Persian; (ii) Diploma in Unani Pharmacy of minimum two years duration from a Central or State Government recognised University or institute; and (iii) Two years' experience as Unani Pharmacist from a Central or State Government Unani Hospital or Pharmacy or Unani Hospital or Pharmacy recognised or empanelled by Central or State Government. Or II. Degree in Unani Pharmacy from a Central or State Government recognised University or Institute. Note 1 : The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.";

(ii) Against the post of Store Keeper (Unani) at serial number 2 for the entries under column (7), the following shall be substituted, namely:-

(7)
" Essential : I. (i) 12th Class pass with Science Subjects [Physics, Chemistry, Mathematics or Biology] or equivalent from a recognised Board or University or an equivalent oriental qualification in Urdu or Arbic or Persian;

(ii) Diploma in Unani Pharmacy of minimum two years duration from a Central or State Government recognised University or Institute; and

(iii) Two years' experience as Unani Pharmacist from a Central or State Government Unani hospital or Pharmacy or Unani Hospital or Pharmacy recognised or empanelled by Central or State Government;

Or

II. Degree in Unani Pharmacy from a Central or State Government recognised University or Institute.

Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.";

(iii) Against the post of ECG Technician (Junior) at serial number 3, for the entries under column (7), the following shall be substituted, namely:-

" Essential :

(i) 12th Class pass with Science Subjects [Physics, Chemistry, Mathematics or Biology] or equivalent from a recognised Board or University;

(ii) Diploma in E.C.G technician course from a Central Government or State Government recognised institute; and

(iii) One year experience in handling of E.C.G Machine in any Central Government or State Government Hospital or Hospital recognised or empanelled by Central or State Government.

Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(iv) Against the post of Dental Technician at serial number 6 for the entries under column (7), the following shall be substituted, namely:-

" Essential :

(i) 12th Class pass with Science Subjects [Physics, Chemistry, Mathematics or Biology] or equivalent from a recognised Board or University;

(ii) Diploma in Dental Hygiene or Dental Technician from a Central Government or State Government recognised institute; and

(iii) Two years' experience as Dental Technician in a Central government or State Government Hospital or Hospital recognised or empanelled by Central or State Government.

Note 1 :The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(v) Against the post of Lady Health Visitor at serial number 7 for the entries under column (7), the following shall be substituted, namely:-

(7)
" Essential : (i) 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii) Diploma in Lady Health Visitor course and one year experience in midwifery from a Central Government or State Government Institution or Hospital or Institution or Hospitals recognised or empanelled by Central or State Government. **Note 1 :**The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

[F. No. A-12018/01/2014-CGHS-I (pt.)]

RAJENDER SING SIDHU, Under Secy.

Note:

1. The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 221, dated 19th November, 2015
2. The amended rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 466, dated 19th December, 2017

नई दिल्ली, 24 जून, 2024

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भौतिक चिकित्साविद (श्रेणी -I) भर्ती नियम 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में ज्येष्ठ भौतिक चिकित्साविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, ज्येष्ठ भौतिक चिकित्साविद भर्ती नियम, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पद की संख्या और उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उस से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परमर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति –**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन पद है या अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ भौतिक चिकित्साविद	01* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा या आमेलन भी है	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

				आमेलन: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी, (क) (i) जिन्होने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पदों को धारण किया हो; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स में वेतन सम्तुल्य स्तर- 9 (53100-167800 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 8 (रु. 47600-151100) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फिजियोथेरेपी में स्नातक की डिग्री; (ii) पब्लिक सेक्टर के अधीन या कानूनी या स्वायत्त संगठन द्वारा संचालित कम से कम सौ बिस्तर वाले सरकारी अस्पताल या अस्पताल में फिजियोथेरेपी में तीन वर्ष का अनुभव हो वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर डिग्री। **नोट 1.-** आमेलन केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या

				संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अधिकारियों की दशा में ही प्रभावी हो सकता है। **नोट 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनि-युक्ति की अवधि शामिल है साधरंतया पर तीन साल से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिक-तम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/04/2017-सीजीएचएस-I]

राजेन्द्र सिंह सिद्धू, अवर सचिव

New Delhi, the 24th June, 2024

G.S.R. 114.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme, Physiotherapist (Grade -I) Recruitment Rules, 1995, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Physiotherapist in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Senior Physiotherapist Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, aged limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, aged limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of aged-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Aged limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Senior Physiotherapist	1(2024) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group, ‘A’,Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix.	Not Applicable.	Not Applicable.

Educational and other qualif-cations required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruit-ment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation including Short-Term Contact or absorption.	Deputation (including short-term contract) Absorption : Officers of the Central Government, State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institutions- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

				(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 9 (Rs 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay level 8(Rs. 47600-151100) in the pay matrix; AND (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor Degree in Physiotherapy from a recognised university or institute; (ii) three years experience in Physiotherapy in a minimum one hundred beds Government Hospital or Hospital run by a Public Sector Under taking or Statutory or Autonomous Organisation DESIRABLE: Masters Degree in Physiotherapy from a recognised university or institute. **Note1.-** The absorption can be effected only in the case of officers from the Central Government or State Government or Union territory Administration. **Note2.-**The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or

				some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not Applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-12018/04/2017-CGHS-I]

RAJENDER SINGH SIDHU, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त जून, 2024

सा.का.नि. 115.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद में उप निदेशक, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. –**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद, समूह 'क' एवं 'ख'भर्ती नियम 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना –**ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-**उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.-**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.-**वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.-**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पदों की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उप निदेशक।	1 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800- 209200 रू.) ।

चयन या अचयन पद।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति द्वारा।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।	

(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या क़ानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी, -

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में मास्टर डिग्री; और

(ii) औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में डॉक्टरेट डिग्री।

टिप्पण 1 : विभागीय ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रू.) , ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव के साथ बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है । यदि पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
12	13
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ।	1 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “क”, राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700- 208700 रू.) ।

(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति ।

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या क़ानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी, -

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500रू.) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में मास्टर डिग्री; और

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में डॉक्टरेट डिग्री।

अनुभव: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500रू.) ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव के साथ बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है । यदि पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

12	13
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. वैज्ञानिक अधिकारी ।	1 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “क”, राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100- 177500 रू.) ।

(5)	(6)	(7)	(8)
चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(9)	(10)
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)
प्रोन्नति : कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 ग्रेड में चार वर्ष नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित सुसंगत क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों

सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा प्रदान की हो; या

(iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में मास्टर डिग्री; और

अनुभव: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में डॉक्टरेट डिग्री।

टिप्पण 1 : प्रोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

12	13
समूह "क", विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष; 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य ; 3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; 4. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य । समूह "क", विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; 3. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य ।	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)

4. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ।	2 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600- 151100रू.) ।

(5)	(6)	(7)
चयन ।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती) **नोट:** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक अर्हताएं **:**किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में मास्टर डिग्री। अनुभव: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में डॉक्टरेट डिग्री। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
नहीँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)
प्रोन्नति : ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400रू.) ग्रेड में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित सुसंगत क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता के आधे से अधिक से या दो वर्ष से जो भी कम हो,कम न हों और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा प्रदान की हो; और (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो। **टिप्पण 1:** प्रोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

12	13
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; 3. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य । समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; 3. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य ।	सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
5. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक।	2 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रू.) ।

(5)	(6)	(7)
चयन ।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:**आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**आवश्यक अर्हताएं :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में मास्टर डिग्री। अनुभव: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौधोगिकी में डॉक्टरेट डिग्री।

		टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीँ होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)
प्रोन्नति :   कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित उच्च पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारी से संबंधित सुसंगत विषय या कार्य क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।   **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता के आधे से अधिक से या दो वर्ष से जो भी कम हो,कम न हों और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।   प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -   (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या   (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और   (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो।   **टिप्पण 1:** पोषक सवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।   **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।   **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12	13

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; 3. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य। समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; 3. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
6. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक।	2 (2024)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रू.) ।

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता ।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्मजीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। अनुभव: औषध परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीँ होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफल-तापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया

	अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात छ: वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो।

(11)	12	13
लागू नहीँ होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य; 3. औषध नियंत्रक (भारत) या संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/03/2020-डीआरएस]

बिकाश आर. महातो, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 2024

G.S.R. 115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director, Senior Scientific Officer, Scientific Officer, Junior Scientific Officer, Senior Scientific Assistant and Junior Scientific Assistant in the Central Drugs Testing Laboratory, Hyderabad, in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. –**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Central Drugs Testing Laboratory, Hyderabad, Group 'A' and 'B' Posts, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. -**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-**The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.–**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification. –**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.–**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be

provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1. Deputy Director.	1(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**
(5)	**(6)**
Not applicable.	Not applicable.

(7)	**(8)**
Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.**
(9)	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	By deputation (including short term contract)/promotion.	Deputation (including short term contract)/promotion: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or recognised university or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- Essential: (i) Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharma-cology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or institute; and (ii) ten years' experience in drugs testing and

		standardisation and research. Desirable: Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or recognised institute. Note 1: The departmental Senior Scientific Officer in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years regular service in the grade having the educational qualification and experiences prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
2. Senior Scientific Officer.	1(2024) *Subject to variationDependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix.

(5)	**(6)**
Not applicable.	Not applicable.

(7)	**(8)**
Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Deputation (including short term contract)/promotion.	Deputation (including short - term contract)/ promotion: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or recognised university or recognised research Institution: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: Essential: Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or institute. Desirable : Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or institute. Experience: Eight years' experience in drugs testing and standardisation and research. **Note 1:** The departmental Scientific Officer in level - 10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix with five years' regular service in the grade having the educational qualification and experiences prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
3. Scientific Officer.	1(2024) *Subject to variation Dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix.

(5)	**(6)**
Selection.	Not applicable

(7)	**(8)**
Not applicable	Not applicable.

(9)	**(10)**	**(11)**
Two years for promo-tees.	By promotion, failing which by deputation.	Promotion: Junior Scientific Officer in level - 8 in the pay matrix with four years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the relevant areas as prescribed by the competent authority. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations,- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with two years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with four years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level - 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, as under:- Essential: Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or

		Biotechnology of a recognised university or recognised institute. Experience: Eight years' experience in drugs testing and standardisation and research. Desirable: Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or recognised institute. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1.Member, Union Public Service Commission -Chairperson; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare-Member; 3. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi - Member; 4. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India) - Member. Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi - Member; 3. Drugs Controller or Joint Drugs Controller - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
4. Junior Scientific Officer.	2(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 (Rs.47600- 151100). in the pay matrix.

(5)	**(6)**
Selection.	Not exceeding thirty years of age (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	**(8)**
Essential qualifications: Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or recognised institute Experience: Four years' experience in drugs testing and standardisation and research. Desirable Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or recognised institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No

(9)	**(10)**	**(11)**
Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction train -ing of at least two weeks duration for successful completion of the proba-tion as prescribed by the Central Government.	(i) By fifty per cent by direct recruitment; and (ii) Fifty per cent. by promotion, failing which by deputation.	Promotion: Senior Scientific Assistant in level -7 in the pay matrix (44900-142400) with two years′ regular service in the grade and having successfully completed two weeks mandatory training as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Deputation:

		Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations,- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years′ service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age - limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairperson; **2.** Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India) –Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairperson; **2.** Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for direct recruitment.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
5. Senior Scientific Assistant.	2(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.

(5)	(6)
Selection.	Not exceeding thirty years of age (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)
Essential qualifications: Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised University or recognised institute Experience: Two years experience in drugs testing and standardisation and research. Desirable: Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or recognised institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Committee or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(i) Fifty per cent by direct recruitment; and (ii) Fifty per cent. by promotion failing which by deputation.	Promotion: Junior Scientific Assistant in level 6 in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in subject or area of work relevant to duties and responsibility of the higher post as prescribed by the competent authority from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next

		higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations,- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level - 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller or Joint Drugs Controller -Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller or Joint Drugs Controller (India) –Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
6. Junior Scientific Assistant.	2(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.

(5)	(6)
Not applicable.	Not exceeding thirty years of age (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issue by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)
Essential qualifications: Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised university or institute. Experience:One year experience in drugs testing and standardisation and research. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. **Note:**There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Hundred per cent by direct recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/3/2020-DRS]

BIKASH R. MAHATO, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 116.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.-वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद है या अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उच्च श्रेणी लिपिक।	270* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.)।	अचयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षितशैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रति-शतता।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती	किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से बैचलर डिग्री।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा अवधि पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा।	(i) विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (iii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के

है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।				माध्यम से 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/- रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरी जाए जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/- रु.) में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महासर्वेक्षक -अध्यक्ष; (2) भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य; (3) सहायक महासर्वेक्षक -सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महासर्वेक्षक -अध्यक्ष; (2) भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य; (3) सहायक महासर्वेक्षक -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अवर श्रेणी लिपिक।	100* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/- रु.)।	अचयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं उत्तीर्ण; (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकणगति या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकणगति (स्वीकृत समय 10 मिनट)। **टिप्पण 1:** प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दाब के औसत पर 10,500 कुंजी दाब प्रति घंटा / 9000 कुंजी दाब प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट। **टिप्पण 2:** टंकण में कौशल परीक्षण केवल कंप्यूटर पर आयोजित होगा। **टिप्पण 3:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेका-नुसार शिथिल की जा सकती है।	हां, स्तंभ (11) में उपदर्शित सीमा तक।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा अवधि पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा।	(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (iii) विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से 5 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) 10 प्रतिशत रिक्तियां, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900/- रु.) वाले समूह 'ग' कर्मचारियों (तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारी) में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी और जो 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण अर्हता रखते हों और जिन्होंने अर्हक परीक्षा के आधार पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ii) 5 प्रतिशत रिक्तियां, समूह 'ग' कर्मचारियों से विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900/- रु.) में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** यदि खंड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या को पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जायेगा ताकि पूर्व परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले जो बाद वाली परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं विचार किया जा सके।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महासर्वेक्षक -अध्यक्ष; (2) भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य; (3) सहायक महासर्वेक्षक -सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महासर्वेक्षक -अध्यक्ष; (2) भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भिन्न कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी -सदस्य; (3) सहायक -सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 2: खंड (i) के अधीन परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा पैंतालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास वर्ष होगी।		

[फा. सं. एस एम/02/18/2023]

अनुपमा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 30th July, 2024

G.S.R. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Survey of India, (Group 'C' Ministerial posts) Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the Survey of India under the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. –(1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Survey of India, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix. –The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. –Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. –Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.Upper Division Clerk.	270* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Between 18 and 27 years of age (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Bachelor's Degree from a recognised University.	Not applicable.	Two years for direct recruits. **Note:** The probation period shall include successful completion of mandatory induction training of at least two weeks' duration.	(i) 10 per cent. by promotion through Departmental Promotion Committee; (ii) 80 per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (iii) 10 per cent. by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: (i) 10 per cent. of vacancies to be filled up by promotion through Departmental Promotion Committee from Lower Division Clerk with eight years of regular service in the grade in level-2 in the pay matrix (Rs19900-63200). (ii) 10 per cent. of vacancies to be filled up by promotion through Limited Departmental Competitive Examination from Lower Division Clerk with five years regular service in the grade in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200). **Note:**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Surveyor General - Chairperson; (2) One Group 'A' Officer from Office other than Survey of India - Member; (3) Assistant Surveyor General - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- (1) Deputy Surveyor General - Chairperson; (2) One Group 'A' Officer from Office other than Survey of India - Member; (3) Assistant Surveyor General - Member.	Not applicable.

eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Lower Division Clerk.	100* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12th class from a recognised Board; (ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on Computer. (Time allowed 10 minutes) **Note 1:** {35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 Key Depressions per Hour (KDPH) / 9000 KDPH on an average of 5 key depressions of each word}. **Note 2:** Skill Test in typing shall be conducted only on Computers. **Note 3:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.	Yes, to the extent indicated in Column (11).	Two years for direct recruits. **Note:** The probation period shall include successful completion of mandatory induction training of at least two weeks’ duration.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 85 per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 10 per cent. by promotion through Limited Departmental Competitive Examination; (iii) 5 per cent. by promotion through Departmental Promotion Committee.	**Promotion:** (i) 10 per cent. of the vacancies shall be filled up by promotion from amongst the Group 'C' staff (erstwhile Group ‘D' staff) in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) and who possess 12th Class pass qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of qualifying the Limited Departmental Competitive Examination (LDCE);	Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consis-ting of:- (1) Deputy Surveyor General - Chairperson; (2) One Group ‘A’ Officer from Office other than Survey of India - Member; (3) Assistant Surveyor General - Member.	Not applicable.

	(ii) 5 per cent. of the vacancies shall be filled up by promotion through Departmental Promotion Committee from Group 'C' employees who have three years regular service in the grade in level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900). **Note 1:** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (i) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. **Note 2:** The maximum age-limit for eligibility for examination under clause (i) shall be forty-five years and fifty years for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Deputy Surveyor General - Chairperson; (2) One Group 'A' Officer from Office other than Survey of India - Member; (3) Assistant Surveyor General - Member.	

[F. No. SM/02/18/2023]

ANUPAMA, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 117.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (ड्रिलर-एवं-यांत्रिक) भर्ती नियम, 1976, जहां तक उनका संबंध मास्टर इलेक्ट्रीशियन के पद से हैं, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड सहायक फोरमैन भर्ती नियम, 1980, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (फोरमैन) भर्ती नियम, 1982 और केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (मास्टर मैकेनिक) भर्ती नियम, 2005 को उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने से लोप किया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, के केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड में फोरमैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (फोरमैन) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.-भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता.-वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से 'जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है'; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अपचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फोरमैन	48* (2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रू)	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो कें लिए आयु - सीमा।
(6)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकार सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ता
(7)
आवश्यक अर्हता
(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ड्रिलिंग या खनन या यांत्रिक या विद्युत या सिविल या कृषि इंजीनियरी या पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरी में तीन वर्ष का इंजीनियर डिप्लोमा और केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, कानूनी संगठन और स्वायत्त निकाय से डीजल और गैसोलीन

इंजन, ड्रिलिंग रिग, वाहन, डीजल जेनरेटर के संचालन, रखरखाव और ओवरहालिंग में छह मास का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्ध्तिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन विभिन्न पद्ध्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
नहीं।	सीधे भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) और; (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)

प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200-92300) में यांत्रिक (अत्यधिक कुशल ग्रेड-I) से 96 प्रतिशत और इलेक्ट्रीशियन (अत्यधिक कुशल ग्रेड-I) से 4 प्रतिशत, जिन्होंने ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली या किसी अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से नीचे उल्लिखित चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, अर्थात्:-

(i) ड्रिलिंग और सहायक उपस्कर (स्तर 2) के रखरखाव में दो सप्ताह का प्रशिक्षण।

(ii) रखरखाव प्रबंधन पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उसके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति: -केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कानूनी संगठन या स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन अधिकारी:

(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (रु. 29200-92300) में ड्रिलिंग रिग/अर्थ मूविंग मशीनरी/ट्रक/ट्रैक्टर की मरम्मत और रखरखाव से संबंधित छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के व्यक्तियों के लिए विहित शिक्षा और अनुभव हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य –काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (अल्पकालिक संविदा सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो इसका संरचना।	
(12)	
अ. विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1 निदेशक, (प्रशासन) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – अध्यक्ष; 2 अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – सदस्य; 3 अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय जो केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के विषय देखता है - सदस्य; और 4 जयेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – सदस्य।	**आ. विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1 निदेशक, (प्रशासन) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – अध्यक्ष; 2 अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – सदस्य; और 3 जयेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – सदस्य।

भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/12/2017-जीडबल्यूई]

शालिनी गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 15th July, 2024

G.S.R. 117.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Ground Water Board (Driller-Cum-Mechanic) Recruitment Rules, 1976 in so far as they relates to the post of Master Electrician, the Central Ground Water Board (Assistant Foreman) Recruitment Rules, 1980, Central Ground Water Board (Foreman) Recruitment Rules, 1982 and the Central Ground Water Board (Master Mechanic) Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Foreman in the Central Ground Water Board, in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely:-

1. **Short title and commencement–**(1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board **(**Foreman) Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–**The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. –**No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving–**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of posts.**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether Selection or Non-Selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Foreman.	48 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400).	Selection post.

Age Limits for direct recruits.
(6)
Not exceeding thirty years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by the Staff selection Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.
(7)
Essential Qualification
(i) Bachelor Degree in Drilling or Mining or Mechanical or Electrical or Civil or Agricultural Engineering or Petroleum technology from a recognized Institute or University; or (ii) three years diploma in Mechanical or Electrical Engineering from a recognized institute or University and six months experience in operation maintenance and overhauling of diesel and gasoline engine, drilling rigs, vehicles, Diesel Generator from the Central Government, the State Governments, Union territory Administrations, public sector undertaking, statutory organization and autonomous bodies. **Note 1:** Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct Recruits will apply in the case of promotees.	**Period of Probation if any.**	**Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits and promotes. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for the directrecruits for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(i) 50 per cent. By promotion failing which by deputation (including short term contract) and; (ii) 50 per cent. By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion: - 96 per cent. from Mechanical (Highly Skilled Grade-I) and 4 per cent from Electrician (Highly Skilled Grade-I) in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix, with six years of regular service in the grade and successful completion of below mentioned mandatory training of four weeks from the National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi or any other Government Training Institute, namely:- (i) two weeks training in maintenance of Drilling and Ancillary Equipment (Level 2). (ii) two weeks training on Maintenance Management. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation: -** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Statutory Organisation or autonomous bodies or public sector Undertakings or recognised Universities or recognised Research Institutes: (i) holding analogous posts in the parent cadre or department on regular basis; or (ii) with six years regular service related to drilling rig or earth moving machineries or trucks or tractors repair and maintenance in level 5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix in the parent cadre or department; and possessing the education and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	
(12)	
A. Departmental Promotion committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board (Chairperson); 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board (Member);	**B. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board (Chairperson); 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board (Member);

3. Under Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti dealing with matter of Central Ground Water Board (Member); and 4. Senior Administrative Officer, Central Ground Water Board (Member).	3. Senior Administrative Officer, Central Ground Water Board (Member).

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with the Union Public Service commission is not necessary.

[F. No. A-12018/12/2017-GWE]

SHALINI GUPTA, Under Secy.

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 118.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अनुसंधान अधिकारी की भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियमों को एतदद्वारा बनाते हैं, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसंधान अधिकारी (समूह 'ख' पद)) भर्ती नियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) वे अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रारंभिक संविधान**–(1) मौजूदा भर्ती नियमों, अर्थात् अनुसंधान अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त और गृह मंत्रालय भर्ती नियम 1985 के अंतर्गत भर्ती किए गये पदधारी और इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पहले नियमित आधार पर अनुसंधान अधिकारी का पद धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पदधारियों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठता, पदोन्नति, स्थायीकरण के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**-पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ सलंग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट होंगे ।

4. **भर्ती की विधि, आयु-सीमा और योग्यताएं, आदि**-भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (**5**) से (13) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता**–व्यक्ति पात्र नहीं होगा, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका जीवनसाथी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि केन्द्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दुसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति–**जहाँ केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह लिखित में दर्ज किये जाने वाले कारणों से और संघलोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति–**इन नियमों में से कोई भी बात केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान अधिकारी	6* (2024) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता हो सकती है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, ग्रुप 'ख' 'राजपत्रित', गैर-मंत्रालयी	वेतन स्तर-8 (रु.47600-151100/-).	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है) महत्वपूर्ण विवरण: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत लोगों के मामले में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो.**
(7)	(8)	(9)
<u>आवश्यक योग्यता:</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र या नृविज्ञान या सामाजिक नृविज्ञान या अनुप्रयुक्त नृविज्ञान या सांख्यिकी या मनोविज्ञान या भूगोल या गणित (सांख्यिकी के साथ) में स्नातकोत्तर उपाधि। **<u>वांछनीय योग्यता:</u>** सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण या अनुसंधान करने का दो वर्ष का अनुभव जिसमें डेटा का विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। **टिप्पणी:** अन्यथा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। **नोट:** परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेशकालिक प्रशिक्षण होगा।

भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(10)	(11)
पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा तथा पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 (रु. 44900-142400) में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ वरिष्ठ अन्वेषक और विभाग द्वारा आयोजित जनजातियों से संबंधित अधिनियमों और नियमों पर दो सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ध्यान दें: जहां कनिष्ठों जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से कम न हो या दो साल, जो भी कम हो, और अपने कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करने वाले; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 (44900-142400/- रु.) या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किये गए ग्रेड में दो साल की सेवा; और (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो। **नोट 1:** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। **नोट 2:** केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है तो उसकी संरचना क्या है:	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया चाहिए
(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: (i) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – अध्यक्ष; (ii) अवर सचिव (स्थापना) या उप-निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

जनजाति आयोग – सदस्य; और (iii) अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य। विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: (i) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – अध्यक्ष; (ii) अवर सचिव (स्थापना) या उप-निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – सदस्य; और (iii) अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय – सदस्य।	

[फा. सं. 20025/45/2022-एनसीएसटी]

धीरज चंद्र रे, उप निदेशक

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(National Commission for Scheduled Tribes)

New Delhi, the 31st July, 2024

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Officer in the National Commission for Scheduled Tribes, Ministry of Tribal Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, Research Officer (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.—(1) The incumbents recruited under the existing recruitment rules, namely, Research Officer, the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Ministry of Home Affairs Recruitment Rules, 1985 and holding the post of Research Officer on regular basis, immediately before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of incumbents referred to in sub-rule (1) immediately before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of period of probation , seniority, qualifying service for promotion, confirmation.

3. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4**. Method of recruitment, age-limit and qualifications**, **etc. —**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification. -** No person,**—**

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6**. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or Non-selection post.**	**Age–limit for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Research Officer.	6* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' 'Gazetted' ,Non-Ministerial.	Pay level-8 (Rs. 47600-151100/-).	Selection.	Not exceeding thirty years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Crucial description: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
Essential Qualification: Masters Degree from a recognised University or Institution in Social Work or Sociology or Economics or Anthropology or Social Anthropology or Applied Anthropology or Statistics or Psychology or Geography or Mathematics (with Statistics). Desirable Qualification: Two years experience of conducting survey or research in the field of social welfare including analysis of data and preparation of reports. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	No	Two years for direct recruits. **Note:**There shall be a mandatory induction training of atleast two weeks duration for successful completion of the probation as determined by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(10)	**(11)**
Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract) and fifty percent by direct recruitment.	Promotion: Senior Investigator in Pay level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with two years of regular service and successfully completed the training on Acts and rules related to Tribals of two weeks duration conducted by the Department. Note: Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service. Deputation (Including short-term contract): Officers of the Central Government, State Government, Union territory Administration, Universities, recognised research institutions, public sector undertakings, autonomous, or statutory organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay level 7 (Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing educational qualification and experience as prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of : (i)Director or Deputy Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes – Chairman; (ii)Under Secretary (Establishment) or Deputy Director,	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

National Commission for Scheduled Tribes –Member; and (iii) Under Secretary, Ministry of Tribal Affairs –Member. <u>Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :</u> (i)Director or Deputy Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes – Chairman; (ii)Under Secretary (Establishment) or Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes –Member; and (iii) Under Secretary, Ministry of Tribal Affairs –Member.	

[F. No. 20025/45/2022-NCST]

DHIRAJ CHANDRA RAY, Dy. Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA